



उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2
संख्या : 6/2026/447/94-2-2026-700(13)/2026
लखनऊ, दिनांक : 24 अप्रैल, 2026

अधिसूचना
आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, जिला अयोध्या की तहसील सदर के ग्राम मांझा जमथरा में स्थित 52.102 एकड़ नजूल भूमि जो विश्वस्तरीय मन्दिर संग्रहालय के सन्निर्माण/निर्माण के लिये परिलक्षित की गयी है, से संबंधित, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार तथा तलाकृत फाउन्डेशन के मध्य निष्पादित होने वाले लाइसेन्स करार पर पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद-35 के अधीन संदेय **स्टाम्प शुल्क** में छूट प्रदान करते हैं:

परन्तु यह कि—पूर्वोक्त लाइसेन्स करार के रजिस्ट्रीकरण के समय महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में, छूट प्राप्त स्टाम्प शुल्क के समतुल्य धनराशि की अप्रतिसंहरणीय बैंक गारंटी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। संग्रहालय का परिचालन प्रारम्भ होने पर बैंक गारंटी अवमुक्त कर दी जायेगी।

आज्ञा से,

अमित गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या : 6/2026/447(1)/94-2-2026-700(13)/2026 दिनांक : 24 अप्रैल, 2026

प्रतिलिपि - हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक 24 अप्रैल, 2026 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त, स्टाम्प उत्तर प्रदेश, लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सुधीर कुमार
विशेष सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या : 6/2026/447(2)/94-2-2026-700(13)/2026 दिनांक : 24 अप्रैल, 2026

1. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
3. प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उ०प्र० शासन।
4. महानिरीक्षक निबन्धन/आयुक्त स्टाम्प, उ०प्र०।
5. मण्डलायुक्त, अयोध्या उ०प्र०।
6. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
7. जिलाधिकारी, अयोध्या उ०प्र०।
8. उप महानिरीक्षक निबन्धन, अयोध्या मण्डल, अयोध्या उ०प्र०।
9. अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), अयोध्या उ०प्र०।
10. सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, अयोध्या उ०प्र०।
11. विधायी अनुभाग-1
12. भाषा अनुभाग-5
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिव कुमार
उप सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

Uttar Pradesh Shasan
Stamp Evam Registration Anubhag-2

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 6/2026/447/94-2-2026-700(13)/2026 dated : 24 April, 2026 :

Notification
Order

No. 6/2026/447/94-2-2026-700(13)/2026
Lucknow, Dated : 24 April, 2026

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act No. 2 of 1899), as amended in its application to the State of Uttar Pradesh, the Governor, with effect from the date of the publication of this notification in the Official Gazette, is pleased to remit the **stamp duty** payable, under Article 35 of Schedule I-B of the aforesaid Act, on the License Agreement to be executed between the Department of Tourism, Government of Uttar Pradesh and Talakrit Foundation relating to the 52.102 acres of nazul land situated in Village-Manjha Jamthara, Tehsil-Sadar of District Ayodhya that has been identified for construction/building of world class Temple Museum:

Provided that irrevocable bank guarantee of the amount equivalent to the remission of stamp duty in favour of the Inspector General Registration, Uttar Pradesh shall be presented before the registration officer at the time of registration of the aforesaid license agreement. Bank guarantee shall be released when the Museum will be operational.

By order,

Amit Gupta
Pramukh Sachiv.

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।